

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज०)
क्रमांक- राजस्व/2023/12- दिनांक 24/01/2023

सम्बन्ध- रोडूनाथ बनाम राजस्थान सरकार जर्मे तहसीलदार रायपुर
धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :- दिनांक 24/01/2023

प्रार्थी रोडूनाथ पिता रामानाथ जाति नाथ नि० नकलंग तहसील रायपुर जिला झालावाड के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दरतावेजो/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान शू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम नकलंग पटवार मण्डल माधनिया तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 मे खाता संख्या 104 व 27 मे वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी के पिता का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम नकलंग पटवार मण्डल माधनिया तहसील रायपुर	104 व 27	रोडूनाथ पुत्र रामनाथ रोडूनाथ पुत्र रामनाथ	रोडूनाथ पुत्र रामानाथ

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

जिला झालावाड (राज०)
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

दिनांक 24/01/2023

क्रमांक- राजस्व/2023/12

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद शीघ्र-किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी रोडूनाथ पिता रामानाथ जाति नाथ नि० नकलंग तहसील रायपुर जिला झालावाड को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड (राज०)
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

